उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : प्रस्ताव यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब हम क्लाज-वार विचार करते हैं।

क्लाज 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

क्लाज 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक के अंग बने।

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : प्रस्ताव यह है :

कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थीं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

प्रस्ताव पारित हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब हम क्लाज़ वार विचार करते हैं।

क्लाज़ 2 से 4 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

क्लाज़ 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक के अंग बने।

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और पारित हुआ।

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2002

&

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION BILL, 2002

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I move:

That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of a part of the financial year 2002-2003, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 2001-2002, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The questions were proposed.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उत्तर प्रदेश में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए थी, अब वह तो है नहीं, यह बजट यहां पर क्यों आया है, यही सवाल है और इस पर मंत्री जी बोलें।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, इस प्रकार के अनेक पूर्व उदाहरण हैं कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के पहले सदन ने उन के बजट को पास किया है और वह पूर्वोदाहरण यहां पर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब मैं पहले उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002 को आप की राय के लिए रखता हूं। प्रस्ताव यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।

क्लाज 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने।

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I move:

That the Bill be returned.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और प्रस्ताव पारित हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 को आप की राय के लिए रखता हूं। प्रस्ताव यह है,

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2 से 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।

क्लाज 1, अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने।

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I move:

That the Bill be returned.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और प्रस्ताव पारित हुआ।

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) VOTE ON ACCOUNT BILL, 2002

&

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 2002

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Sir, I move:

That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2002-03 for the purposes of Railways, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2001-02 for the purposes of Railways, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The questions were proposed.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सुबह प्रश्नकाल में माननीय रेल मंत्री जी को देखकर मैं ने कहा था कि क्या शाम को खाली सदन में आप रेलगाड़ी दौड़ाने वाले हैं? तो उन्होंने कहा था कि नहीं काफी लोग हैं, लेकिन अंत में उन्हें खाली सदन में ही रेलगाड़ी दौड़ानी पड़ रही है और हमारी मजबूरी है कि ...**(व्यवधान)**... सर, मैं यह कह रही थी कि माननीय मंत्री जी से जब मैंने यह कहा था कि आप खाली सदन में अपनी रेलगाड़ी चलाने जा रहे हैं तो उस समय मुझे भी पता नहीं था कि शाम को यह स्थिति होगी और